बिहारसरकार
श्रम संसाधनविभाग
निदेशालय, नियोजन एवंप्रशिक्षण, बिहार, पटना।

संकल्प

PRADHANMANTRI SKILLING AND EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIs (PM SETU) योजनान्तर्गत राज्य के अधिक से अधिक युवक/युवतियों को उद्योग की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के निमित्त उद्योग आधारित प्रशासन के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याद्युनिक कौशल संस्थानों रूप में उन्नत और पुनर्परिकल्पित करने हेतु निम्न रूपेण स्टेट स्टीयरिंग कमिटी का गठन किया जाता है, जो Hub-and-Spoke मॉडल के माध्यम से औ0 प्र0 संस्थानों के उन्नयन के कार्यान्वयन का मार्ग दर्शन और देख–रेख करने के लिये राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगी। यह कलस्टर स्तरीय रणनीतिक निवेश योजनाओं (SIPs) की समीक्षा और सिफारिश करेगी और वार्षिक परिचालन योजना (Annual Operational Plan) को मंजूरी देगी, कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी, अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी और अन्य राज्य पहलों के साथ अभिसरण की सुविधा प्रदान करेगी। स्टेट स्टीयरिंग कमिटी उद्योग और शिक्षा जगत के साथ हितधारक जुड़ाव का समर्थन करेगा, कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करेगा, और प्रगति रिपोर्ट, नीति फीड बैक और वित्त पोषण रिपोर्ट प्रस्तुत करके राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) के साथ प्राथमिक सम्पर्क के रूप में कार्य करेगा। यह राज्य के अंदर योजना को रणनीतिक दिशा प्रदान करने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ससमय परिणाम आधारित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

क्रमांक	कमिटी के सदस्यों का विवरण	पदनाम
1	मुख्य सचिव, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना	सदस्य सचिव
6	क्षेत्रीय निदेशक, RDSDE Bihar	सदस्य
7	निदेशक, टी0 आर0 टी0 सी0, पटना	सदस्य
8	बिहार इंडस्ट्री एसोशियेशन के एक प्रतिनिधि	सदस्य
9	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

स्टेट स्टीयरिंग कमिटी (SSC) की भूमिका एवं दायित्व निम्नवत् होगा:—

(क) रणनीतिक नेतृत्व और निरीक्षण

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना के कार्यान्वयन के लिये समग्र, दिशा—निर्देश और राज्य—स्तरीय समन्वय प्रदान करना।
- योजना को राज्य की औद्योगिक, कौशल और शिक्षा प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए मार्गदर्शन करना।

(ख) कलस्टर योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन

- विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजनाओं (SIP) की समीक्षा और अनुमोदन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि योजनाएँ इस योजनान्तर्गत निर्धारित तकनीकी और वित्तीय मानदंडों को पूरा करती है और स्थानीय कौशल आवश्यकताओं को प्रतिविंबित करती है।

(ग) अभिसरण और अंतर्विभागीय समन्वय को सुगम बनाना

- एकीकृत कार्यान्वयन के लिये कौशल विकास, उद्योग, शिक्षा और श्रम जैसे राज्य विभागों में अभिसरण को सक्षमकरना।
- भूमि, प्रशिक्षकों, बुनियादी ढाँचे आदि सहित राज्य स्तरीय योजनाओं और संसाधनों से समर्थन सुनिश्चित करना।

(घ) प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कलस्टरों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना, जिसमें सिविल कार्य, उपकरण क्रय, पाठ्यक्रम, रॉलआउट, प्रशिक्षक की तैनाती और KPIs की उपलब्धि शामिल है।
- आवधिक समीक्षाएं (कम से कम त्रैमासिक) आयोजित करना और परिचालन बाधाओं को समाधान करना।
- उद्योग की भागीदारी का मूल्यांकन करना तथा राज्य के हिस्से से समय पर निधि जारी करना।

ज्ञापांक— टी0—04 योजना—06 / 2024 2971 पटना, दिनांक— 01.12.2025

प्रतिलिपिः—सभी संयुक्त निदेशक (LWE तथा प्रशिक्षण) / सभी उप निदेशक प्रशिक्षण / सभी सहायक निदेशक (परीक्षा, प्रशिक्षण तथा प्रावैद्यिक शिक्षा) / श्रमायुक्त, बिहार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन / सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार / कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति / अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोशियेशन, पटना / निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष एवं प्रशिक्षण पक्ष) के सभी पदाधिकारी / आई०टी०मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक— टी0—04 योजना—06 / 2024 2971 पटना, दिनांक— 01.12.2025

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

28/11/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक— टी0—04 योजना—06 / 2024 2971 पटना, दिनांक— 01.12.2025

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 100 प्रतियाँ निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षणपक्ष), नियोजन भवन, बेलीरोड, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

28/11/25

सरकार के सचिव

(ड़) हितधारकों की भागीदारी

- क्लस्टर विकास और पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण में इनपुट प्रदान करने के लिये उद्योग और शिक्षा जगत के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना।
- सेक्टर विशिष्ट भागीदारों के साथ जुड़ना तथा कलस्टरों के भीतर उद्योग समर्थित पहलों को बढ़ावा देना।

(च) राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) के साथ सम्पर्क

- राष्ट्रीय स्तरपर एन0 एस0 सी0 को नियमित प्रगति रिपोर्ट, क्लस्टर अनुमोदन और वित्त पोषण अनुरोध प्रस्तुत करना।
- समय–समय पर जारी राष्ट्रीय नीति निर्देशों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- राज्य की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करना, जहाँ आवश्यक हो वहाँ लचीलापन अपनाना और सर्वोत्तम प्रथाओं या नवाचारों को उजागर करना।

(छ) कैपेसिटी निर्माण और डिजिटल सिस्टम रॉल आउट का समर्थन करना

- लर्निंग आउटकम मैनेजमेंट सिस्टम (LOMS) छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली, और ई–सामग्री उपकरण यथा–डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने में सुविधा प्रदान करना।
- योजना में शामिल राज्य PMU, SVP टीमों और ITI संकाय के लिए क्षमता निर्माण का निरीक्षण करना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/11/25

(दीपक आनन्द)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– टी0–04 योजना–06/2024 2971 पटना, दिनांक– 01.12.2025

प्रतिलिपिः–स्टेट स्टीयरिंग कमिटी के उक्त सभी सदस्यों/मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सचिव, कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार/महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/11/25

सरकार के सचिव